रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 57] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 5, 2012/फाल्गुन 15, 1933
No. 57] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 5, 2012/PHALGUNA 15, 1933

केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 मार्च , 2012

सं. 12-2/2006-सी.सी.एच. (पार्ट) 31254.—केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद्, केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद् अधिनियम, 1973 (1973 का 59) की धारा 33 के खंड (झ), (ञ) और (ट) तथा धारा 20 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी से होम्योपैथी (स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम) एम.डी. (होम्यो.) विनियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :—

1. 1. इन विनियमों का संक्षिप्त नाम होम्योपैथी (स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम) एम.डी. (होम्यो.) (संशोधन) विनियम, 2012 है ।

2. ये भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. होम्योपैथी (स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम) एम.डी. (होम्यो.) विनियम, 1989 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त विनियम कहा गया है), के विनियम 2 के खण्ड (घ) में,—

(क) "केन्द्रीय परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त", शब्दों के स्थान पर शब्द "केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुज्ञात" शब्द रखे जाएंगे ।

3. उक्त विनियम के विनियम 3 में, उप-विनियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम रखा जायेगा, अर्थात् :—

"(3) पाठ्यक्रम में निम्नलिखित समाविष्ट होगा, अर्थात्:–

(क). विशेषज्ञता के विषय:

(i) ऑर्गनन ऑफ मेडिसिन;
(ii) होम्योपैथिक मेटीरिया मेडिका (जिसके अंतर्गत अनुप्रयुक्त पक्ष भी है);
(iii) रेपर्टरी;
(iv) होम्योपैथिक भेषजी;
(v) आयुर्विज्ञान व्यवहार;
(vi) बाल चिकित्सा; तथा
(vii) मनोविकार चिकित्सा

(ख). एम.डी. (होम्यो.) के लिए किसी अभ्यर्थी को अपना विशेषज्ञ का एक विषय का विकल्प प्रवेश के समय करना होगा और डिग्री उसी अतिरिक्त विशेषज्ञता की प्रदान होगी।

विशेषज्ञता के विषयों के अतिरिक्त, प्रत्येक अभ्यर्थी को नीचे दिए गए 3 विषयों (सहायक) में परीक्षा देनी होगी:-

ऑर्गनन ऑफ मेडिसिन
रेपर्टरी
होम्योपैथिक मेटीरिया मेडिका

प्रत्येक पाठ्यक्रम में निम्नलिखित समाविष्ट होंगे:-

(i) एम.डी.(होम्यो.) ऑर्गनन ऑफ मेडिसिन -	(i) होम्योपैथिक दर्शन और ऑर्गनन ऑफ मेडिसिन (ii) आयुर्विज्ञान व्यवहार (iii) मेटीरिया मेडिका या रेपर्टरी और (iv) अनुसंधान प्रणाली विज्ञान, जैव-सांख्यिकी और आयुर्विज्ञान का इतिहास

(ii) एम.डी. (होम्यो.) मेटीरिया मेडिका	(i) मेटीरिया मेडिका (ii) आयुर्विज्ञान व्यवहार (iii) होम्योपैथिक दर्शन तथा ऑर्गनन ऑफ मेडिसिन या रेपर्टरी, और (iv) अनुसंधान प्रणाली विज्ञान, जैव-सांख्यिकी और आयुर्विज्ञान का इतिहास
(iii) एम.डी. (होम्यो.) रेपर्टरी -	(i) रेपर्टरी (ii) आयुर्विज्ञान व्यवहार (iii) मेटीरिया मेडिका या होम्योपैथिक दर्शन और ऑर्गनन ऑफ मेडिसिन, तथा (iv) अनुसंधान प्रणाली विज्ञान, जैव-सांख्यिकी और आयुर्विज्ञान का इतिहास
(iv) एम.डी. (होम्यो.) होम्योपैथिक भेषजी -	(i) होम्योपैथिक भेषजी (ii) आयुर्विज्ञान व्यवहार (iii) मेटीरिया मेडिका या होम्योपैथिक दर्शन तथा ऑर्गनन ऑफ मेडिसिन (iv) अनुसंधान प्रणाली विज्ञान, जैव-सांख्यिकी और आयुर्विज्ञान का इतिहास
(v) एम.डी. (होम्यो.) आयुर्विज्ञान अभ्यास -	(i) आयुर्विज्ञान व्यवहार (ii) मेटीरिया मेडिका

	(iii) होम्योपैथिक दर्शन और ऑर्गनन ऑफ मेडिसिन या रेपर्टरी (iv) अनुसंधान प्रणाली विज्ञान, जैव-सांख्यिकी और आयुर्विज्ञान का इतिहास
(vi) एम.डी. (होम्यो.) बाल चिकित्सा -	(i) बाल चिकित्सा (ii) मेटीरिया मेडिका (iii) होम्योपैथिक दर्शन और ऑर्गनन ऑफ मेडिसिन या रेपर्टरी (iv) अनुसंधान प्रणाली विज्ञान, जैव-सांख्यिकी और आयुर्विज्ञान का इतिहास
(vii) एम.डी. (होम्यो.) मनोविकार चिकित्सा -	(i) मनोविकार चिकित्सा (ii) मेटीरिया मेडिका (iii) होम्योपैथिक दर्शन तथा ऑर्गनन ऑफ मेडिसिन या रेपर्टरी (iv) अनुसंधान प्रणाली विज्ञान, जैव-सांख्यिकी और आयुर्विज्ञान का इतिहास

4. उक्त विनियमों के विनियम 5 में, "क. सामान्य विषयों" से संबंधित पाठ्यचर्या का लोप होगा। अनुसंधान प्रणाली विज्ञान, जैव-सांख्यिकी तथा आयुर्विज्ञान का इतिहास की पाठ्यचर्या निम्नवत् होगी:-

- आयुर्विज्ञान सांख्यिकी, सांख्यिकी में नवीनतम उपलब्धियों की सहायता से होम्योपैथी में अनुसंधान कार्य के वर्गीकरण की प्रकृति का मौलिक ज्ञान।

- स्पष्टीकारक अनुसंधान कार्य/पुष्टिकारक अनुसंधान कार्य/प्रायोगिक अनुसंधान कार्य

सांख्यिकी घटक :

- जैव-सांख्यिकी का परिचय जिसके अंतर्गत परिभाषा और कार्य क्षेत्र भी है-
- जैव-सांख्यिकी का उपयोग।
- गुण या दोष।
- आकड़ों के संग्रहण में स्वास्थ्य सूचना प्रणाली।
- आवर्ती वितरण सारणी।
- प्रस्तुतिकरण की तारीख– सारणी प्रस्तुतिकरण चित्रलेख।
- आलेख (ग्राफ़िकल) प्रस्तुतिकरण।
- स्थिरांक स्थिति-औसत-माध्यिका और बहुलक।
- विचरण माप –नारंगी, अन्तःचतुर्थक श्रेणी, औसत विचलन, मानक विचलन, गुणांक विचलन ।
- सामान्य वितरण।
- कब्जाधीन तथा द्विपद वितरण।
- मानक त्रुटि या औसत।
- विश्वास सीमा।
- "जेड" परीक्षण।
- "एफ" परीक्षण।
- "टी" परीक्षण – युग्मित और गैर-युग्मित।
- चाई-स्केयर परीक्षण।
- नमूना।
- सुधार और पुनःरावर्तन।

आयुर्विज्ञान का इतिहास –

- यूनान तथा भारत में प्राचीन काल में प्रचलित आयुर्विज्ञान का इतिहास।

- यूनान तथा भारत में मध्यकाल में प्रचलित आयुर्विज्ञान का इतिहास।

- आयुर्विज्ञान का इतिहास (जिसके अंतर्गत अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन तथा भारत में आधुनिक काल की होम्योपैथी भी है)।

विशेषज्ञता के विषयों की पाठ्यचर्या परीक्षाओं के प्रयोजन के लिए सहायक विषयों के लिए भी होगी।

5. उक्त विनियम के विनियम 7 के, खंड (क) में, उप खंड (i), के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड रखा जायेगा, अर्थात्:–

"(i) भाग-1 एम.डी. (होम्यो.) परीक्षा – प्रत्येक विषय के लिए पूर्णांक और उत्तीर्ण करने के लिए अपेक्षित न्यूनतम अंक निम्नलिखित होंगे:-

(क) एम.डी. (होम्यो.) मेटीरिया मेडिका -

विषय	लिखित	मौखिक सहित प्रयोगात्मक परीक्षा	कुल	उत्तीर्णांक
(i) मेटीरिया मेडिका	100	50	150	75
(ii) आयुर्विज्ञान व्यवहार	100	50	150	75
(iii) होम्योपैथिक दर्शन और ऑर्गनन ऑफ मेडिसिन या रेपर्टरी	100	50	150	75
(iv) अनुसंधान प्रणाली विज्ञान जैव-सांख्यिकी और आयुर्विज्ञान का इतिहास	100	--	100	50

(ख) एम.डी. (होम्यो.) होम्योपैथिक दर्शन -

विषय	लिखित	मौखिक सहित प्रयोगात्मक परीक्षा	कुल	उत्तीर्णांक
(i) होम्योपैथिक दर्शन तथा ऑर्गनन ऑफ मेडिसिन	100	50	150	75
(ii) आयुर्विज्ञान व्यवहार	100	50	150	75
(iii) मेटीरिया मेडिका या रेपर्टरी	100	50	150	75
(iv) अनुसंधान प्रणाली विज्ञान जैव-सांख्यिकी और आयुर्विज्ञान का इतिहास	100	-- --	100	50

(ग) एम.डी. (होम्यो.) रेपर्टरी -

विषय	लिखित	मौखिक सहित प्रयोगात्मक परीक्षा	कुल	उत्तीर्णांक
(i) रेपर्टरी	100	50	150	75
(ii) आयुर्विज्ञान व्यवहार	100	50	150	75
(iii) मेटीरिया मेडिका या होम्योपैथिक दर्शन और ऑर्गनन ऑफ मेडिसिन	100	50	150	75
(iv) अनुसंधान प्रणाली विज्ञान जैव-सांख्यिकी और आयुर्विज्ञान का इतिहास	100	-- --	100	50

(घ) एम.डी. (होम्यो.) होम्योपैथिक भेषजी –

विषय	लिखित	मौखिक सहित प्रयोगात्मक परीक्षा	कुल	उत्तीर्णांक
(ii) होम्योपैथिक भेषजी	100	50	150	75
(ii) आयुर्विज्ञान व्यवहार	100	50	150	75
(iii) मेटीरिया मेडिका या होम्योपैथिक दर्शन और ऑर्गनन ऑफ मेडिसिन	100	50	150	75
(iv) अनुसंधान प्रणाली विज्ञान जैव-सांख्यिकी और आयुर्विज्ञान का इतिहास	100	-- --	100	50

(ड.) एम.डी. (होम्यो.) आयुर्विज्ञान व्यवहार –

विषय	लिखित	मौखिक सहित प्रयोगात्मक परीक्षा	कुल	उत्तीर्णांक
(i) आयुर्विज्ञान व्यवहार	100	50	150	75
(ii) मेटीरिया मेडिका	100	50	150	75
(iii)होम्योपैथिक दर्शन और ऑर्गनन ऑफ मेडिसिन या रेपर्टरी	100	50	150	75
(iv) अनुसंधान प्रणाली विज्ञान जैव-सांख्यिकी और आयुर्विज्ञान का इतिहास	100	-- --	100	50

(च) एम.डी. (होम्यो.) बाल चिकित्सा -

विषय	लिखित	मौखिक सहित प्रयोगात्मक परीक्षा	कुल	उत्तीर्णांक
(iii) बाल चिकित्सा	100	50	150	75
(ii) मेटीरिया मेडिका	100	50	150	75
(iii)होम्योपैथिक दर्शन और ऑर्गनन ऑफ मेडिसिन या रेपर्टरी	100	50	150	75
(iv) अनुसंधान प्रणाली विज्ञान जैव-सांख्यिकी और आयुर्विज्ञान का इतिहास	100	-- --	100	50

(छ) एम.डी. (होम्यो.) मनोविकार चिकित्सा -

विषय	लिखित	मौखिक सहित प्रयोगात्मक परीक्षा	कुल	उत्तीर्णांक
(i) मनोविकार चिकित्सा	100	50	150	75
(ii) मेटीरिया मेडिका	100	50	150	75
(iii) होम्योपैथिक दर्शन और ऑर्गनन ऑफ मेडिसिन या रेपर्टरी	100	50	150	75
(iv) अनुसंधान प्रणाली विज्ञान जैव-सांख्यिकी और आयुर्विज्ञान का इतिहास	100	-- --	100	50

6. उक्त विनियम के विनियम 8 के, उपविनियम (3) के, खंड (झ) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जायेगा, अर्थात्:-

"(i) भाग-2 एम.डी.(होम्यो.) परीक्षा – प्रत्येक विषय के लिए पूर्णांक और उत्तीर्ण करने के लिए अपेक्षित न्यूनतम अंक निम्नलिखित होंगे:-

(क) एम.डी. (होम्यो.) मेटीरिया मेडिका –

विषय	लिखित	मौखिक सहित प्रयोगात्मक परीक्षा	कुल	उत्तीर्णांक
(i) मेटीरिया मेडिका प्रश्नपत्र I प्रश्नपत्र II	 100 100	200	400	200
(ii) आयुर्विज्ञान व्यवहार	100	50	150	75
(iii) होम्योपैथिक दर्शन और ऑर्गनन ऑफ मेडिसिन या रेपर्टरी	100	50	150	75

(ख) एम.डी. (होम्यो.) होम्योपैथिक दर्शन –

विषय	लिखित	मौखिक सहित प्रयोगात्मक परीक्षा	कुल	उत्तीर्णांक
(i) होम्योपैथिक दर्शन और ऑर्गनन ऑफ मेडिसिन प्रश्नपत्र I प्रश्नपत्र II	 100 100	200	400	200
(ii) आयुर्विज्ञान व्यवहार	100	50	150	75
(iii) मेटीरिया मेडिका या रेपर्टरी	100	50	150	75

(ग) एम.डी. (होम्यो.) रेपर्टरी–

विषय	लिखित	मौखिक सहित प्रयोगात्मक परीक्षा	कुल	उत्तीर्णांक
(i) रेपर्टरी प्रश्नपत्र I प्रश्नपत्र II	 100 100	200	400	200
(ii) आयुर्विज्ञान व्यवहार	100	50	150	75

(iii) मेटीरिया मेडिका या होम्योपैथिक दर्शन और ऑर्गनन ऑफ मेडिसिन	100	50	150	75

(घ) एम.डी. (होम्यो.) होम्योपैथिक भेषजी –

विषय	लिखित	मौखिक सहित प्रयोगात्मक परीक्षा	कुल	उत्तीर्णांक
(i) होम्योपैथिक भेषजी प्रश्नपत्र I प्रश्नपत्र II	 100 100	200	400	200
(ii) आयुर्विज्ञान व्यवहार	100	50	150	75
(iii) मेटीरिया मेडिका या होम्योपैथिक दर्शन और ऑर्गनन ऑफ मेडिसिन	100	50	150	75

(ङ.) एम.डी. (होम्यो.) आयुर्विज्ञान व्यवहार–

विषय	लिखित	मौखिक सहित प्रयोगात्मक परीक्षा	कुल	उत्तीर्णांक
(i) आयुर्विज्ञान व्यवहार प्रश्नपत्र I प्रश्नपत्र II	 100 100	200	400	200
(ii) मेटीरिया मेडिका	100	50	150	75
(iii) होम्योपैथिक दर्शन और ऑर्गनन ऑफ मेडिसिन या रेपर्टरी	100	50	150	75

(च) एम.डी. (होम्यो.) बाल चिकित्सा–

विषय	लिखित	मौखिक सहित प्रयोगात्मक परीक्षा	कुल	उत्तीर्णांक
(i) बाल चिकित्सा प्रश्नपत्र I प्रश्नपत्र II	 100 100	200	400	200

(ii) मेटीरिया मेडिका	100	50	150	75
(iii) होम्योपैथिक दर्शन और ऑर्गनन ऑफ मेडिसिन या रेपर्टरी	100	50	150	75

(छ) एम.डी. (होम्यो.) मनोविकार चिकित्सा–

विषय	लिखित	मौखिक सहित प्रयोगात्मक परीक्षा	कुल	उत्तीर्णांक
(i) मनोविकार चिकित्सा प्रश्नपत्र I प्रश्नपत्र II	 100 100	200	400	200
(ii) मेटीरिया मेडिका	100	50	150	75
(iii)होम्योपैथिक दर्शन और ऑर्गनन ऑफ मेडिसिन या रेपर्टरी	100	50	150	75

टिप्पण: *विश्वविद्यालय द्वारा घोषित परिणाम 'उत्तीर्ण' या 'अनुत्तीर्ण' होंगे, किन्तु कोई अंक संसूचित नहीं किए जाएंगे।

टिप्पण: छात्र को तभी उत्तीर्ण घोषित किया जाएगा, यदि वह प्रत्येक विषय में कुल मिलाकर 50% के साथ लिखित और प्रयोगात्मक में जिसके अंतर्गत मौखिक परीक्षा भी है, पृथक रूप से 40% अंक प्राप्त करता है।

7. उक्त विनियम के विनियम 9 में,-

(क) उपविनियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपविनियम रखा जायेगा, अर्थात्:-

"(1) किसी मान्यता प्राप्त होम्योपैथिक महाविद्यालय को स्नातकोत्तर केंद्र के रूप में माना जाएगा, जो बी.एच.एम.एस. डिग्री पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए सभी विहित न्यूनतम अपेक्षाओं, मानदंडों तथा मानकों को पूरा करता है, तथा कम से कम पांच वर्षों से निरंतर सफलतापूर्वक बी.एच.एम.एस. डिग्री पाठ्यक्रम संचालित कर रहा हो।"

(ख) उपविनियम (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपविनियम रखा जायेगा, अर्थात्:-

"(2) प्रत्येक ऐसे महाविद्यालय या अध्यापन अस्पताल में संबंधित विशेषज्ञता का एक विभाग होगा और इसमें कम से कम एक उच्चतर संकाय सहित दो अध्यापकों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सुविधाएं भी होंगी:-

(i) विशेषज्ञता के विभाग में एक पूर्णकालिक आचार्य या उपाचार्य;

(ii) विशेषज्ञता के विभाग में एक पूर्णकालिक व्याख्याता;

(iii) मनोविकार और बाल-चिकित्सा विभागों में दो सहायक या परिचर जैसे कर्मचारी;

(iv) प्रतिदिन बहिरंग रोगी विभाग में न्यूनतम 250 रोगियों सहित बहिरंग रोगी विभाग और आंतरिक रोगी विभाग;

(v) प्रतिदिन 75% शैय्या उपयोग सहित इसके अध्यापन (महाविद्यालय) होम्योपैथिक अस्पताल में बी.एच.एम.एस. पाठ्यक्रम के लिए अपेक्षित शैय्याओं के अतिरिक्त, विशेषज्ञता के प्रत्येक नैदानिक विषय के लिए प्रति छात्र एक शैय्या निश्चित होगी।

नोट: अध्यापन (महाविद्यालय) होम्योपैथिक अस्पताल के बहिरंग रोगी विभाग तथा आंतरिक रोगी विभाग की उक्त उपस्थिति उस दिन की प्रस्तुत करनी होगी, जब होम्योपैथी केंद्रीय परिषद अधिनियम, 1973 की धारा 12क के अनुसार केंद्रीय सरकार की मान्यता या अनुमोदन प्राप्त करने के लिए कॉलेज प्राधिकारियों द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाता है"।

(ग) उपविनियम (3) में, खंड (क) तथा (ख) का लोप होगा:

8. उक्त विनियम के विनियम 12 में, उपविनियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपविनियम रखा जायेगा:-

"(1) छात्र-मार्गदर्शक अनुपात: -

(क) छात्र – पर्यवेक्षक (मार्गदर्शक) अनुपात 3:1 होगा, यदि मार्गदर्शक या पर्यवेक्षक आचार्य संवर्ग के हैं।

(ख) छात्र – पर्यवेक्षक (मार्गदर्शक) अनुपात 2:1 होगा, यदि मार्गदर्शक या पर्यवेक्षक उपाचार्य संवर्ग के हैं।

(ग) छात्र – पर्यवेक्षक (मार्गदर्शक) अनुपात 1:1 होगा, यदि मार्गदर्शक या पर्यवेक्षक व्याख्याता संवर्ग के हैं।

टिप्पण:- पर्यवेक्षक (मार्गदर्शक) उस होम्योपैथिक महाविद्यालय के अध्यापन संकाय से होंगे, जहां पर संबंधित छात्र ने प्रवेश लिया है।"

9. उक्त विनियम के विनियम 12 में, उपविनियम (2) में, खंड (क) में, उपखंड (ii) के स्थान पर, निम्नलिखित उपखंड रखा जायेगा, अर्थात्:-

"(1) होम्योपैथी में किसी मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर डिग्री अर्हता धारण करने वाले आचार्य या उपाचार्य या व्याख्याता के रूप में आठ वर्षों के अध्यापन अनुभव सहित होम्योपैथी में किसी मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर डिग्री धारण करने वाला एक व्याख्याता"।

10. उक्त विनियम के विनियम 13 में, उपविनियम (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपविनियम रखा जायेगा:-

"(2) विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षकों का एक पेनल तैयार किया जाएगा, जो परिषद द्वारा अनुमोदित होगा"।

11. उक्त विनियम के विनियम 14 का लोप किया जाएगा।

डॉ. ललित वर्मा, सचिव

[विज्ञापन III/4/असाधारण/147/11]